

प्रपत्र-2.1

भाग- ।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना/रक्षीम का स्थान **देवल मुन्डोली मोटर मार्ग से २०५० ला० मुन्डोली तक मोटर मार्ग निर्माण**
- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र - **उत्तराखण्ड**
 - ii) जिला - **चमोली**
 - iii) वन प्रगांग - **बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपकंठ**
 - iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (डेक्टेयर में) - **०.२४४ वन पंचायत**
 - v) वन की कानूनी स्थिति - **वन पंचायत**
 - vi) हरियाली का घनत्व -
 - vii) प्रजातिवार (विज्ञानिक नाम) और परिधि अणीवार वृक्षों की पर्णिणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक०जार०५ल० - ८ मी० पर परिणामना भी संलग्न किए जाएं - **संलग्न**
 - viii) भूकरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन - **० संलग्न**, शीलता पर लक्षित टिप्पणी।
 - ix) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी - **० संलग्न**
 - x) कथा फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव आभ्यारण जैवाम्लिन रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारोड़ और आदि का भाग है (यदि हो, क्षेत्र का व्यौदा और प्रमुख वन्य जीव वाहन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए)
 - xi) वन क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजाति की दुर्लभ / सकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियों पाई जाती है यदि हो / तो तत्सम्बन्धी व्यौदा दें। - **० नहीं**
 - xii) कथा कोई सुरक्षित उत्तरात्मीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हो तो तत्सम्बन्धी व्यौदा साथम् प्राचिकरण से अनुप्रस्तुति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या - **हो**
- 8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जावे गए विकल्पों के व्यौदा के साथ मदवार सस्तुत क्षेत्र क्या है। - **हो**
- 9- कथा अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हो / नहीं) यदि हो, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौदा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य जमी भी यह है। - **नहीं,**

- 10— प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्योरा:-
- प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अद्यक्षमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड को सख्त, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
 - प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अद्यक्षमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन स्थीमाओं को दर्शाता मैप।
 - रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत आदि।
 - प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल विस्तीर्ण परिव्याय।
 - प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से साक्षम प्राधिकरण से प्रमाण—पत्र (सम्बन्धित उप वन संस्थाक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।
- 11— जिला वन संस्थक को स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)
- 12— प्रमाण/जिला प्रोफाइल
- जिला का भौगोलिक क्षेत्र। **80302040**
- जिला का वन क्षेत्र। **514792 ६०**
 - गामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
 - 1980 से जिला/प्रमाण में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण
 - (क) दण्ड व रूप में प्रतिकूल वनीकरण सहित वन भूमि
 - (ख) वनेत्तर भूमि पर **31112/2016** तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
 - (ग) वन भूमि पर **4250.96 ha**
 - (घ) वनेत्तर भूमि पर **132.71 ha**
- 13— प्ररताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संस्थक की विशेष सिफारिश।

दिनांक **20-12-2017**

स्थान **चौपेहनर**

नवी.

जहाँ.

संलग्न

11.31

संलग्न।

मामले 616, 3091, 98 ha

हस्ताक्षर

नाम **(राजसन् पाण्ड्य)**

प्रबन्धीय वनाधिकारी
सरकारी मानव
प्रबन्धन वन (प्रमाण वीफेस
X)